सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 493
05/07/2018

‘सात निश्चय’ कार्यक्रम की गुणवत्ता जाँच हेतु प्रधान सचिव द्वारा सभी डी0एम0 को निदेश

पटना, 05 जुलाई 2018 :– पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को निश्चय योजनाओं के सैंपल्स की जाँच कराने के संबंध में पत्र लिखा है। निर्गत किए गये पत्र से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सात निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा दो योजनाएँ क्रमशः मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों के गुणवत्ता की जाँच इन योजनाओं के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए अतिआवश्यक है।

गौरतलब है कि विभाग अंतर्गत सामग्रियों के सैंपल टेस्टिंग की अपनी प्रयोगशाला नहीं है। इस कारण पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिवों/प्रधान सचिवों को उनके प्रयोगशाला से सैंपल की निःशुल्क जाँच हेतु सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिसकी प्रतिलिपि सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि गली–नाली पक्कीकरण में बन रहे पी0सी0सी0 रोड, प्रयुक्त हो रहे पेवर (PAVER) ब्लॉक्स, ब्रिक्स आदि की जाँच आर0सी0डी0/आर0डब्ल्यू0डी0 के प्रयोगशाला से कराया जाना निदेशित है। पेयजल योजना में प्रयुक्त हो रहे सामग्री की जाँच पी0एच0इ0डी0 के लेबोरेट्री में कराई जाये, ऐसा निदेश है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का सैंपल इकट्ठा कर RCD/RWD और PHED के लेबोरेट्री में भेजने की व्यवस्था कराए जाने तथा प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का निदेश है।

****